संख्या–3228 / 9–आ–1–2001–01 वि / 2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एंव विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनाँक : 26 जून, 2001

विषय : वितथ समाधान योजना – एक बार समाधान (ओ. टी. एस.)।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद् के ऐसे आवंटियों, क्रेताओं एवं ऋण गृहीताओं, जो भुगतान में वितथी (डिफाल्टर) हैं, के मामलों के समाधान हेतु शासन द्वारा गत वर्ष वितथ समाधान–एक बार समाधान (ओ.टी.एस.) योजना लागू की गई थी। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि अभी भी बड़ी संख्या में आवंटी भुगतान में डिफाल्टर हैं जिसके कारण प्राधिकरणों / परिषद् के बकाए की वसूली अवरूद्ध हैं। अतः शासन द्वारा विचारोपरान्त ऐसे आवंटियों के मामलों को विनियामित करने हेतु एक और अवसर देते हुए ओ.टी.एस. योजना को निम्नानुसार लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है :–

1. योजना किस पर लागू होगी :

यह योजना सभी आवासीय भूमि, भवन तथा ग्रुप हाउसिंग के आवंटियों पर लागू होगी। व्यवसायिक सम्पत्तियों के आवंटियों पर तथा उन मामलों में जहां पहले ही भूमि रियायती दर पर आवंटित की गई है, पर यह योजना लागू नहीं होगी।

2. सिद्धान्त :

एक बार समाधान योजना के अन्तर्गत सभी वितथी (डिफाल्टर) आवंटियों से साधारण ब्याज, जोकि सम्पत्ति के आवंटन के समय किश्तों के निर्धारण पर लागू ब्याज दर के बराबर होगा, लिया जायेगा परन्तु किसी भी प्रकार का दण्ड ब्याज नहीं लिया जाएगा। किये गये भुगतान सर्वप्रथम ब्याज में सम्मिलित किये जायेंगे, तदोपरान्त मूल में। इसका कम्प्यूटर साफ्टवेयर अलग से उपलब्ध कराया जा रहा है। उसी के द्वारा अनन्तिम एंव अंतिम डिमांड नोट जारी किये जायेंगे।

3. योजना की अवधि :

यह योजना इस शासनादेश के जारी होने की तिथि के 15 दिन के बाद लागू होगी और जारी होने की तिथि के 3 माह बाद तक प्रवृत्त रहेगीं। उक्त 3 माह के बाद प्राप्त प्रार्थना–पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. आवेदन एंव भुगतान की प्रक्रिया :

(i) आवेदन के साथ रु0 100/– प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी, जो बैंक ड्राफ्ट अथवा नकद के रूप में देय होगी। यह फीस न तो वापस की जाएगी और न ही बकाए में समायोजित होगी।

(ii) सभी प्राधिकरणों/परिषद कार्यालयों में समाधान के लिए उपाध्यक्षों/आवास आयुक्त द्वारा उपयुक्त अधिकारी नामित कर दिये जाएंगे, जो उनके समक्ष प्रस्तुत मामलों का निस्तारण करने और आवंटी द्वारा पहले से जमा की गई धनराशि के विवरण का सत्यापन करने के लिए उत्तरदायी होंगे। निर्धारित अवधि में संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर इनके द्वारा उक्त विवरण के ही आधार पर आवंटी को बकाया धनराशि की गणना कर अनन्तिम डिमान्ड नोट उसी दिन उपलब्ध करा दिया जाएगा और आवंटी से समस्त बकाए की 1/3 धनराशि को, एक निर्धारित तिथि तक, जो एक पक्ष से अनाधिक होगी, जमा करने का अवसर दिया जाएगा। इसी अवधि में अधिकारी विभागीय अभिलेखों से आवेदक की जमा धनराशि आदि का सत्यापन कर लेंगे और यदि कोई अन्तर हुआ तो उसका समाधान करते हुए वास्तविक बकाया धनराशि का अंतिम मांग पत्र उक्त निर्धारित तिथि को आवंटी को जारी करेंगे। इस मांग पत्र में गतपक्ष में जमा 1/3 धनराशि का समायोजन करते हुये शेष शुद्ध बकाया धनराशि अगले 6 सप्ताह में एकमुश्त अथवा किश्तों में जमा करने की अपेक्षा की जायेगी।

(iii) यदि सूचना देने के एक पक्ष के अन्दर सम्पर्णू देय धनराशि अथवा उसकी 1/3 धनराशि आवंटी द्वारा जमा नहीं की जाती है अथवा उसके 6 सप्ताह बाद शेष 2/3 धनराशि जमा नहीं की जाती, तो यह समाधान योजना उस आवंटी पर लागू नहीं होगी और पूर्व व्यवस्था के अनुसार उससे वसूली/आवंटन निरस्तीकरण/बेदखली की कार्यवाही वर्तमान नियमों के अन्तर्गत की जाएगी।

(iv) समस्त प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि एक पक्ष की समय–सीमा में प्रत्येक आवेदक की बकाया धनराशि की सत्यापित गणना उसे प्राप्त करा दी जानी है और बकाया मामलों का विवरण कारणों सहित उनके समक्ष प्रस्तुत हो जाना है, ताकि ऐसे मामलों का समाधान उनके स्तर से किया जा सके।

5. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना–पत्र प्राप्त करने हेतु शिविर लगया जाए। प्राप्त सभी प्रार्थना–पत्रों का योजनावार ब्यौरा कम्प्यूटर पर रखा जाए।

6. इस योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार अखबारों में विज्ञापन, रेडियों, टी.वी. द्वारा किया जाएगा। विभिन्न कालोनियों में भी होर्डिंग्स लगाए जाएंगे, जिसमें सभी विवरण दिये जायेंगे ताकि आवंटी को बिना कार्यालय में भाग–दौड़ किए ही आवेदन पत्र भरकर वांछित जमा की रसीदों के साथ सीधे प्राधिकरण/परिषद कार्याल्य/समाधान स्थल तक पहुंच सके।

7. यह येाजना सफल हो और इसका लाभ जनता को मिले, इसके लिए उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त स्वयं दैनिक/साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। शासन स्तर पर जब सभी विकास प्राधिकरणें/आवास एवं विकास परिषद की बैठक होगी, तब इस योजना का भी अनुश्रवण किया जाएगा।

8. इस अवधि में प्राप्त आवेदनों, एक पक्ष में सत्यापित विवरणें आदि के विषय में सूचना संलग्न विवरण पत्र पर शासन को हर माह भेजी जाएगी तथा पूरी अवधि के बाद अन्तिम विवरण भी भेजा जाएगा।

9. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या–3228(1)/9–आ–1–2001–01वि/2000 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. आवास मंत्री/राज्य आवास मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, आवास एंव नगर विकास, उ.प्र. शासन।
3. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,

टी0पी0 पाठक
विशेष सचिव

डिफाल्ट के एक बार समाधान (OTS) येाजना हेतु आवश्यक सूचना

1. Name :

2. House/Plot No. : _____

3. Name of Scheme ._____

4. Catergory of House/Plot :

5. कुल मूल्य/संशोधित मूल्य रू0 _____

6. आवंटन की तिथि

7. Rate of Interest :

(at the time of allotment) On/By Date :

PAYMENT DETAILS भुगतान विवरण

भुगतान तिथियाँ

भुगतान धनराशि

Payment Amount : Date :

Payment Amount : Date :

Payment Amount : Date :

Payment Amount : Date :

Payment Amount : Date :

Payment Amount : Date :

Payment Amount : Date :

Payment Amount : Date :

Payment Amount : Date :

Payment Amount : Date :

Payment Amount : Date :

Payment Amount : Date :

Payment Amount : Date :

Payment Amount : Date :

Payment Amount : Date :

हस्ताक्षर

नाम

पत्राचार हेतु पता

संलग्नक :

(i) आवंटन पत्र की प्रतिलिपि

(ii) भुगतान की रसीदों की प्रतिलिपियाँ। संख्या .....

ओ0टी0एस0 योजना का पाक्षिक (Fortnightly) प्रगति विवरण प्रपत्र

दिनांक 1/15 ..... 2001 की स्थिति

प्राधिकरण का नाम :

(रू0 लाख में)

अन्तिम (Final)

ओ0टी0एस0 मेमो

निर्गत किए गये

अन्तिम (Tentative)

ओ0टी0एस0 मेमो

निर्गत किए गये

ओ0टी0एस0 अन्तर्गत

पूर्ण मामले

ओ0टी0एस0 के अन्तर्गत जमा धनाराशि

धनराशि	संख्या	क्रमिक	पक्ष में	क्रमिक	पक्ष में	क्रमिक	पक्ष में
8	7	6	5	4	1	1	1

(सम्बन्धित अधिकारी का हस्ताक्षर/मुहर)

INTEREST CALCULATION MEMO FOR O.T.S.

NO. 1 Name : S.S. Das

Mailion Address : 11/872 Vikas Nagar, Lucknow

Scheme : Vikas Nagar Ext. House/Plot No. : 11/872

Category : E.W.S. Rate of Interest : 10.50

Date of Allotment : 18/01/2001

Cost of Property : 12500.00

OTS Amount to be paid On/By : 18/07/2001 Rs. 113962.00

Balance cost of

Property

Principal

Adjusted

Interest

Adjusted

Interest

Amount

Amount Paid

Outstanding

Balance Cost of Property

No. of Days

Amount Date
125000.00 1250.00 14/03/2001 25 899.00 899.00 351.00 124649.00

124649.00 2000.00 18/03/2001 29 1040.00 1040.00 960.00 1232689.00

123689.00 15000.00 05/05/2001 77 2740.00 2740.00 12260.00 111429.00

111429.00 5000.00 15/05/2001 87 2789.00 2789.00 2211.00 109262.00

18/07/2001 151 4744.00

नोट : उपरोक्त गणना आवेदक द्वारा दी गई सूचना पर आधारित है, इसलिए अंतरिम है। औपचारिक आवेदन किए जाने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा किश्तों व किये गये भुगतान व आवंटन की अन्य शर्तों आदि का सत्यापन किया जायेगा। यदि देयताएँ में कोई अन्तर होगा तो प्राधिकरण/परिषद् द्वारा अवगत कराया जायेगा।